न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –88 / 2023

1. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम धाकड़ जाति धाकड उम्र बालिग निवासी ग्राम खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. हरलाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड़ जाते धाकड उम्र बालिग निवासी ग्राम खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. जगदीश पुत्र फतादास बैरागी जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी ग्राम खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. बालचन्द पुत्र हेमराज जाति धाकड उम्र बालिग निवासी ग्राम खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
2. जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा।

.................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री अर्जुनसिंह चुण्डावत।
अप्रार्थीः– 01 एकतरफा कार्यवाही व 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 18.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा तहसील रावतभाटा की कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 148 सम्वत् 2076–79 खसरा संख्या 975 कुल किता 01 कुल रकबा 0.46है0 लगानी 2.3000 पैसे जो खाते में प्रार्थी संख्या 01 के सम्पूर्ण हिस्सा खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा के खाता संख्या 495 सम्वत 2076–79 खसरा संख्या 1064, 119, 121, 711, 754, 760, 847, 861, 976, 983 कुल किता 10 कुल रकबा 7.72है0 लगानी 52.51 पैसे जो खाते में प्रार्थी संख्या 02 हरलाल व अन्य सहखातेदारान के दर्ज रिकार्ड है,इसी प्रकार खाता संख्या 124, सम्वत 2076–79 खसरा संख्या 354, 355, 356, 361, 362, 363, 366, 367, 368, 974 कुल किता 10 कुल रकबा 1.81है0 लगानी 30.81 पैसे जो खाते में प्रार्थी संख्या 03 जगदीश बैरागी व अन्य सहखातेदारान के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेअनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 148 के आराजी संख्या 975 व खाता संख्या 495 के आराजी संख्या 976 तथा खाता संख्या 124 के आराजी संख्या 974 पर आने जाने का रास्ता ग्राम खातीखेडा के मुल रास्ते आराजी संख्या 1060 से होकर अप्रार्थी संख्या 01 बालचन्द पुत्र हेमराज धाकड के खाता संख्या 278 की आराजी संख्या 971 रकबा 0.16है0 ... रास्ता से होता हुआ हम प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात नम्बर 974, 975, 976 ... उक्त रास्ते का हम प्रार्थीगण कदीवी समय से उपयोग व ... उक्त रास्ता हमारे बाप दादाओं के समय से ही बना हुआ है, ... रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के खाते नाम दर्ज है, इसलिए ... करना पडता है। अन्त में प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 974, 975, 976 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि काश्त भूमि आराजी संख्या 971 रकबा 0.16है0 गै0मु0 रास्ता कायम कर राज्य सरकार के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे, इस हेतु प्रार्थीगण निम्नानुसार अप्रार्थी संख्यास 01 को डीएलसी राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh
Date: 2024.11.27 17:11:20
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पारित हुए। प्रकरण में रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम खातीखेडा प0ह0 खातीखेडा के आराजी संख्या 974, 975, 976 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी संख्या 974, 975, 976 पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। मौके पर गांव की ओर से आने वाली कच्ची सडक खसरा संख्या 971 के दक्षिणी मेड पर होकर निकलती है जो मौके पर चालू है किन्तू रिकार्ड में दर्ज नही है। उपस्थित मौतबिरान से जानकारी करने पर जाहिर आया कि प्रार्थीगण विगत 40–50 वर्षो से इस कच्ची सडक खसरा संख्या 971 एवं खसरा संख्या 972, 973 के मध्य मेड से होकर आते–जाते रहे है किन्तु विगत 4–5 वर्षो से खसरा संख्या 971 के खातेदार द्वारा अपनी सीमा में तारबंदी कर रास्ता बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया एवं प्रस्तावित रास्ता आराजी संख्या 971 के दक्षिणी मेड से होकर निकलने वाली गडार से खसरा संख्या 971 एवं खसरा संख्या 972, 973 के मध्य की मेड से होकर अपने आराजी संख्या 974, 975 एवं 976 में जायेगा जो सलंग्न नक्शें में दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते (4 मीटर चौडाई) के लिए आराजी संख्या 971 की पूर्वी मेड लम्बाई 160 मीटर व चौडाई 2 मीटर कुल 320 वर्गमीटर व आराजी संख्या 972 की पश्चिमी मेड लम्बाई 38 मीटर व चौडाई 2 मीटर कुल 76 वर्गमीटर व आराजी संख्या 973 की पश्चिमी मेड लम्बाई 112 मीटर व चौडाई 2 मीटर कुल 224 वर्गमीटर व आराजी संख्या 974 की पश्चिमी मेड लम्बाई 54 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुन 216 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 975 की पश्चिमी मेड लम्बाई 52 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 208 वर्गमीटर कुल रकवा 1044 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 624761 रू प्रति है0 अथवा 62.47 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1044X62.47=65219 रू बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को भुगतान कराना होगा।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 974, 975, 976 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए मुल रास्ते आराजी संख्या 1060 से होकर एक आम रास्ता विपक्षीगण के खसरा संख्या 971 रकवा 0.16 हेक्टर गै0मु0 रास्ता से होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक आता है, लेकिन उक्त रास्ता आस पड़ौस वाले विपक्षीगण संख्या 01 ने तारवंदी कर वंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 971 के दक्षिणी मेड की ओर आराजी संख्या 974, 975, 976 प्रार्थीगण के खाते की कृषि में आता है, प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी की उक्त भूमि में से दक्षिणी मेड पर से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 26.0[illegible] अनुसार उक्त प्रकरण में नक्शें अनुसार प्रार्थी विपक्षीगण आराजी संख्या 971 के [illegible] दिशा [illegible] रास्ता चाहता है, इस रास्ते में आराजी संख्या 971 (160X4मी=640 वर्ग मी) [illegible] प्रार्थी को ग्राम खातीखेडा की आराजी संख्या 971 के पूर्व [illegible] रकबा 640 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 624761/ रू. प्रति है0 से 1064X62.4[illegible]6469 रुपये की दुगुनी राशि कीमत 66469 X2=132937 रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी संख्या 972, 973 के खातेदारों को भी आवश्यक पक्षकार बनाकर सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना प्रतित होता है, किन्तु पुनः पक्षकार बना सुनवाई हेतु समय अधिक लगना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriy
Date: 2024.11.27 17:11:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

संभव है, जिससे समय पर प्रार्थीगण को कृषि भूमि पर रास्ता दर्ज नही कराने से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पडेगा, अतः प्रार्थीगण के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम खातीखेडा पटवार हल्का खातीखेडा की आराजी संख्या 974, 975, 976 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 971 कुल रकबा 2.34 है0 में से पूर्व दिशा मेड के सहारे 640 वर्गमीटर व आराजी संख्या 974 की पश्चिमी मेड से 216 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 975 की पश्चिमी मेड कुल 208 वर्गमीटर कुल रकबा 1064 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 1064 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 6,24,761/रू. अनुसार कीमत 66,469 रू की दुगुनी दर से राशि 1,32,938/रू. (अक्षरे रूपये एक लाख बत्तीस हजार नो सौ अढतीस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि आराजी संख्या 974, 975, 976 जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि मे से रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली राशि राज सरकार को समर्पण करते हुए, विपक्षी संख्या 01 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 640 वर्गमीटर (राशि 79962 रू) का भुगतान विपक्षी संख्या 1 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:11:20 IS
Reason: SelfAttested